<u>न्यायालय : वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डेगाना, न्यायक्षेत्र मेड़ता, जिला नागौर</u>

पीठासीन अधिकारी : श्री राजेश्वर विश्नोई (आर.जे.एस.)

दीवानी मूल प्रकरण संख्या – 32/2019

आम मेघवाल समाज ग्राम लवादर बनाम गंगाराम वगैरह

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.01.2026	वकील उभय पक्ष उपस्थित। वकील वादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 14 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी पर सुना गया। प्रार्थना पत्र में वादी की ओर से कथन किया गया है कि विवादित भूमि के सम्बन्ध में उपखण्ड न्यायालय, डेगाना में लम्बित प्रकरण संख्या 265/2016 में तहहीलदर डेगाना के द्वारा दिनांक 03.01.2017 को मौका रिपोर्ट बनाकर तैयार की गई तथा उपखण्ड न्यायालय में पेश की गई, जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि इस प्रार्थना पत्र के साथ सलंग्न की जा रही है, जिसे इस वाद के सही न्याय निस्तारण हेतु रेकर्ड पर ली जानी आवश्यक हैं। उक्त विवादित भूमि के सम्बन्ध में तहसीलदार डेगाना के आदेश की पालना में पटवारी हल्का लवादर द्वारा दिनांक 26.05.2019 को सीमाज्ञान किया जाकर सीमाज्ञान रिपोर्ट तैयार की गई, जो भी उक्त विवादित भूमि के संबंध में ही तैयार की गई है, जिससे उक्त सीमाज्ञान रिपोर्ट को भी रेकर्ड पर लिया जाना न्यायोचित हैं। वाद पत्र में वर्णित विवादित भूमि को कुर्क किये जाने हेतु वादीगण की ओर से माननीय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, डेगाना की अदालत में एक इस्तगासा अन्तर्गत धारा 145 सीआरपीसी का प्रस्तुत किया गया, जिसमें दिनांक 03.06.2019 को विवादित भूमि बाबत् थानाधिकारी डेगाना को रिसीवर नियुक्त किया गया था। उक्त रिसीवर नियुक्त के आदेश एवं आदेशिकाओं की प्रतियां साथ सलंग्न है, जिन्हें भी रेकर्ड पर लिया जाना आवश्यक हैं। विवादित भूमि के सम्बन्ध में खसरा नम्बर 429 एवं खसरा नम्बर 224/9 व 224/10 की प्रमाणित नकलें एवं ट्रेस नक्शों की प्रतियां साथ सलंग्न की जा रही है, जहां विवादित प्लॉट व कुआं स्थित है, जिन्हें भी इस वाद	

में रेकर्ड पर ली जानी आवश्क हैं। वर्तमान में उपरोक्त पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी हेतु नियत रखी गई है। वादी आज अदालत हाजा में अपनी साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित हुवा, तब वादी ने पत्रावली को अवलोकन किया, तब वादी को ज्ञात हुवा कि वाद की पत्रावली में उपरोक्त दस्तावेजों की प्रमणित प्रतिलिपि प्रस्तुत नहीं की गई है। उपर वर्णित अनुसार सभी दस्तावेज वाद में वर्णित विवादित जगह को लेकर ही है, जो सभी दस्तावेज प्रमाणित है, जिनकी सत्यता को लेकर कोई सन्देह नहीं है। लेकिन उपरोक्त दस्तावेजात वाद में तनकी कायम करने से पूर्व पेश किये जाने चाहिये थे, लेकिन सहवन से अथवा भूल से उक्त दस्तावेज वादी पेश नहीं कर सके, जिससे उपरोक्त दस्तवेजात को रेकर्ड पर लिया जाना न्यायोचित एवं न्यायहित में है, जिससे कि पक्षकारों को सही न्याय निर्णय प्राप्त हो सके। उक्त दस्तावेज इस वाद के न्याय निर्णय के लिये बहुत ही आवश्यक दस्तावेज है तथा दस्तावेज को रेकर्ड पर लिये जाने पर प्रतिवादीगण को किसी भी प्रकार से कोई हानि होने वाली नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि वादी का उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र के साथ सलंग्न दस्तावेज को रेकर्ड पर लिये जावे।

उपरोक्त प्रार्थना पत्र की नकल वकील प्रतिवादीगण को दिलाई गई, जिनकी ओर से उक्त प्रार्थना पत्र का लिखित जवाब पेश नहीं करते हुए सीधे मौखिक बहस सुनाते हुए निवेदन किया गया कि प्रार्थना पत्र विलंब से पेश किया गया है, जिसका कोई कारण नहीं बताया गया है और प्रकरण में विलंब कारित करने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। उक्त दस्तावेजात प्रकरण में सुसंगत नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में उक्त दस्तावेजात सुसंगत नहीं होने से प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जावे।

उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुए वकील वादी ने तर्क दिया कि उक्त दस्तावेजात विवादित संपत्ति से जुड़े होने से प्रकरण से सुसंगत है एवं राजकीय दस्तावेज की प्रमाणित प्रतियां

हैं, जो कि साक्ष्य में ग्राह्य है। वादीगण अनपढ़ ग्रामीण परिवेश वाले व्यक्ति है, जिनको जानकारी के अभाव में दस्तावेजात पेश करने में विलंब हुआ है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर दस्तावेजात रिकॉर्ड पर लिए जावे।

सुना गया एवं बहस के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली तथा प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रकरण में जो दस्तावेजात पेश किए जा रहे हैं, उनमें 1. उपखण्ड न्यायालय, डेगाना में लम्बित प्रकरण संख्या 265/2016 में तहहीलदर डेगाना के द्वारा दिनांक 03.01.2017 को मौका रिपोर्ट, 2. तहसीलदार डेगाना के आदेश की पालना में पटवारी हल्का लवादर द्वारा दिनांक 26.05.2019 को सीमाज्ञान किया जाकर सीमाज्ञान रिपोर्ट, 3. उपखण्ड मजिस्ट्रेट, डेगाना की अदालत में एक इस्तगासा अन्तर्गत धारा 145 सीआरपीसी का प्रस्तुत किया गया, जिसमें दिनांक 03.06.2019 को विवादित भूमि बाबत् थानाधिकारी डेगाना को रिसीवर नियुक्त किया तथा 4. खसरा नम्बर 429 एवं खसरा नम्बर 224/9 व 224/10 की प्रमाणित नकलें एवं ट्रेस नक्शों की प्रतियां उपरोक्त चारों दस्तावेजात विवादित संपत्ति से जुड़े होने से प्रकरण में सुसंगत है और केवल विलंब होने के आधार पर सुसंगत दस्तावेजात रिकॉर्ड पर न लिया जाना न्यायोचित नहीं होगा। खास तौर से तब जब वाद पत्र आम मेघवाल समाज की ओर से पेश किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में वादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 14 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र में वर्णित दस्तावेजात 1. उपखण्ड न्यायालय, डेगाना में लम्बित प्रकरण संख्या 265/2016 में तहहीलदर डेगाना के द्वारा दिनांक 03.01.2017 को मौका रिपोर्ट, 2. तहसीलदार डेगाना के आदेश की पालना में पटवारी हल्का लवादर द्वारा दिनांक 26.05.2019 को सीमाज्ञान किया जाकर सीमाज्ञान रिपोर्ट, 3. उपखण्ड मजिस्ट्रेट, डेगाना की अदालत में एक इस्तगासा अन्तर्गत धारा 145 सीआरपीसी का प्रस्तुत किया गया, जिसमें दिनांक 03.06.2019 को विवादित भूमि बाबत् थानाधिकारी डेगाना

को रिसीवर नियुक्त किया तथा 4. खसरा नम्बर 429 एवं खसरा नम्बर 224/9 व 224/10 की प्रमाणित नकलें एवं ट्रेस नक्शों की प्रतियों को रिकॉर्ड पर लिया जाता है।

वकील वादी की ओर से एक अन्य प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 65बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत पेश कर कथन किया गया था कि प्रकरण में रूपाराम द्वारा विवादित स्थल के रंगीन छायाचित्र प्रस्तुत किए गए हैं, जो मोबाईल फोन से खींचें गये हैं। उक्त छायाचित्र इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की श्रेणी में आते हैं, जिनके विधिवत स्वीकार हेतु धारा 65–बी साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत प्रमाण पत्र आवश्यक हैं। वादी द्वारा सम्बन्धित मोबाईल फोन से खींचे गये छायाचित्रों के सम्बन्ध में धारा 65–बी साक्ष्य अधिनियम का विधिवत प्रमाण पत्र/शपथ पत्र तैयार कर प्रस्तुत किया जा रहा है, प्रस्तुत प्रमाण पत्र में ईलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के स्त्रोत, प्रक्रिया एवं सत्यता का स्पष्ट उल्लेख किया गया हैं और प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि वादीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र के संलंग्न भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65–बी का प्रमाण पत्र/शपथ पत्र को रिकॉर्ड पर लेने की अनुमति प्रदान करावें, ताकि विवादित स्थल के रंगीन छायाचित्रों को विधि सम्मत साक्ष्य के रूप में पढ़ा जा सके।

उपरोक्त प्रार्थना पत्र की नकल वकील प्रतिवादीगण को दिलाई गई, जिनकी ओर से उक्त प्रार्थना पत्र का लिखित जवाब पेश नहीं करते हुए सीधे मौखिक बहस सुनाते हुए तर्क दिया गया कि नेगेटिव के अभाव में फोटोग्राफ साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। केवल फोटोग्राफ के आधार पर प्रकरण निस्तारित नहीं किया जा सकता है। अतः ऐसी स्थिति में वादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किए जाने का निवेदन किया गया।

सुना गया एवं बहस के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में प्रस्तुत फोटोग्राफ विवादित स्थल के होना बताया गया है, जिसके संबंध में रूपाराम

ने धारा 65बी साक्ष्य अधिनियम के तहत प्रमाण पत्र पेश किया है, जिसमें उसने कथन किया है कि वादी द्वारा विवादित स्थल के रंगीन छायाचित्र प्रस्तुत किए गए हैं, जो मेरे मोबाईल फोन से खीचें गये हैं। उक्त मोबाईल फोन मेरे वैद्य स्वामित्व एवं नियंत्रण में था तथा सामान्य कार्यशील अवस्था में था तथा छायाचित्र खींचते समय मोबाईल फोन ठीक प्रकार से कार्य कर रहा था तथा उसमें किसी प्रकार की तकनीकी त्रुटि नहीं थी। प्रस्तुत किए गए रंगीन छायाचित्र मूल इलेक्ट्रीक अभिलेख से सीधे प्राप्त है तथा उनमें कोई संपादन, छेड़छाड़ या परिवर्तन नहीं किया गया है। ये छायाचित्र विवादित स्थल की वास्तविक स्थिति को सही सही दर्शाते हैं। उक्त छायाचित्रों को इलेक्टॉनिक अभिलेख के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, जो धारा 65–बी साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप हैं। अतः ऐसी स्थिति में न्यायालय का मत है कि इस स्तर पर दस्तावेज की विश्वसनीयता पर टिप्पणी नहीं करते हुए उक्त फोटोग्राफ रिकॉर्ड पर लेकर प्रदर्श लगाने की अनुमति दिया जाना न्यायोचित है। अतः उपरोक्त दोनों प्रार्थना पत्र उपरोक्तानुसार निस्तारित किए जाते हैं।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी हेतु दिनांक 27.01.2026 को पेश हो।